भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4820

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में सरकारी अस्पतालों का उन्नयन

†4820. श्री बैन्नी बेहननः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल में सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) क्या केरल में एम्स जैसे नए संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) केरल के जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): समतामूलक, किफायती और गुणवत्ताफरक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्ता परक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और सुलभता में सुधार के लिए केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एसपीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए केरल सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए

अनुमोदन प्रदान करती है। केरल सहित प्रत्येक राज्य को दी गई मंजूरी की संख्या नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) में संदर्भित है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य को जारी की गई केंद्रीय राशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय राशि
1.	2019-20	836.14
2.	2020-21	788.22
3.	2021-22	771.47
4.	2022-23	1036.76
5.	2023-24	189.15
6.	2024-25	938.80

नोट:

1. उपर्युक्त जारी राशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी राशि दिनांक 05.03.2025 तक अद्यतन है और यह अनंतिम है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए एसपीआईपी अनुमोदन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन
1.	2019-20	14310.07
2.	2020-21	11316.81
3.	2021-22	5897.00
4.	2022-23	12709.03
5.	2023-24	18104.34

नोट:

1. एसपीआईपी अनुमोदन राज्यों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुरुप हैं और यह अनंतिम हैं।

इसके अलावा**, पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** देश भर में भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और उसके समाधान के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 64180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। उक्त योजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत केरल राज्य को प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक जारी की गई केंद्रीय राशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय धनराशि
1.	2021-22	3.75
2.	2022-23	24.89
3.	2023-24	-
4.	2024-25	16.45

नोट:

1. उपर्युक्त जारी की गई धनराशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिलीज 03.03.2025 तक अद्यतन है और अनंतिम है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'पीजी सीटों में वृद्धि करने तथा नए पीजी विषयों को शुरू करने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का प्रचालन करता है। इस योजना के चरण-II के तहत, सरकारी मेडिकल कॉलेज अलप्पुजा, सरकारी मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम और सरकारी मेडिकल कॉलेज कन्नूर में 43 पीजी सीटों की वृद्धि को दिनांक 08.08.2023 को 13.81 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी दी गई है। केरल राज्य को वर्तमान स्थिति के अनुसार 2.07 करोड़ रुपये की केंद्रीय अंशदान जारी किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों की उपलब्धता में कमी के मद्देनजर, देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। पीएमएसएसवाई के मौजूदा चरण में केरल में एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

केरल सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएचएम के तहत भारत सरकार द्वारा केरल के दूरदराज/आदिवासी बहुल क्षेत्रों में की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क निदान सेवा पहल और निःशुल्क दवा सेवा पहल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के संदर्भ में आवश्यकता-आधारित अंतःक्षेप का निराकरण करते हुए निम्नलिखित शिथिल मानदंड हैं:

i. जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंड को 5,000, 30,000 और 1, 20,000 से शिथिल करके जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए क्रमशः 3000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है;

ii. सामान्य क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशाकर्मी के मानदंड के विरुद्ध, जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति निवास स्थान पर एक आशाकर्मी; और

iii. मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के मानदंड के विरुद्ध, जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम/दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू।

दिनांक 15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री आदिवासी जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों को एनएचएम मानदंडों में और छूट प्रदान की गई है, जैसे कि प्रति जिला 10 एमएमयू, अतिरिक्त एएनएम और बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी), और पीवीटीजी क्षेत्रों में लाभार्थी संतृप्ति।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और आकांक्षी ब्लॉकों के जनजातीय बहुल गांवों और महत्वपूर्ण एसटी आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

******